न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 120/2022

एडलवाइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. पंजीकृत कार्यालय एडलवाइस हाउस, सी. एस.टी रोड, कलिना, मुम्बई शाखा कार्यालय—एडलवाइस एसेट, रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. ई—3, द्वितीय मंजिल, दिल्ली प्रेस, रानी झांसी रोड, झण्डेवाले, नई दिल्ली—110055 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अनिल कुमार

...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री टीकाराम मीणा,
पता—चौकीदारों की ढाणी, पचवारा नगर, श्रीराम वाटिका कॉलोनी, चक जिला दौसा, राजस्थान—303303
अन्य पता— ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री टीकाराम मीणा,
पता—प्लॉट नंबर 29, श्रीराम वाटिका, लालसोट रोड जिला दौसा, राजस्थान
2. श्रीमती पिकी मीणा पत्नि श्री ऋषिकेश मीणा,
चौकीदारों की ढाणी, पचवारा नगर, श्रीराम वाटिका कॉलोनी, चक जिला दौसा, राजस्थान—303303

......ऋणी/सह ऋणी

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002

उपस्थित : श्री अनूप कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 30.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मूल रूप से ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 20,50,000/— (रूपये बीस लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:15:12 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र सं0 120/2022

अधिवक्ता प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. को सुना गया। हमने प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी मूल रूप से ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नंबर 229, खसरा नंबर 2916–2917, श्रीराम वाटिका, लालसोट रोड, जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जो कि श्री ऋषिकेश मीणा पुत्र श्री टीकाराम मीणा के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 208.33 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:15:12 IST
Reason: SelfAttested